कार्यवृत्त

आज दिनांक 12/09/2018 को बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश की नीतियों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा, श्री संदीप मधुकर सपकाले, डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर, डॉ.शिरीष पाल सिंह, डॉ. गुणवंत सोनोने, डॉ. समीर कुमार पाण्डेय, डॉ. आदित्य चतुर्वेदी, श्री. रजनीश अग्रहरि, श्री. विनोद वैद्य उपस्थित थे। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिए गए -

मद संख्या 1. **जम्मू कश्मीर राज्य से D.Ed किये हुये अभ्यर्थियों का प्रवेश हेतु अनुमन्य किये जाने हेतु सुझाव/अनुमोदन।**

निर्णय NCTE द्वारा जारी पत्र File No. 49-21/2005/NCTE/N&S दिनांक 27 जून 2017 (संलग्न)-1 के अनुसार मान्य है।

मद संख्या 2. विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य C.G.P.A.ग्रेड/प्राप्तांक के प्रतिशत का स्पष्टीकरण।

निर्णय **महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रणाली में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर प्रतिशत मान्य किया जा सकता है। और इन आवेदकों से जिनके C.G.P.A. ग्रेड/प्राप्तांक के प्रतिशत के नियम अलग हैं उनसे उस विश्वविद्यालय की नियमावली या प्रतिशत का प्रमाणपत्र प्रवेश परामर्श सत्र के समय मंगवाया जाये। वरीयता सूची में ऐसे छात्रों के नाम के सामने तारांकित (*) किया जाये। प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही करने पर महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रणाली में निर्धारित** मानदण्ड के आधार पर प्रतिशत मान्य किया जायेगा।

मद संख्या 3. PH श्रेणी के अन्तर्गत आवेदित अभ्यर्थियों के क्षैतिज आरक्षण हेतु प्रावधान का स्पष्टीकरण।

निर्णय विश्वविद्यालय के अकादमिक अध्यादेश में 'Seats will be reserved to the disabled candidates – 1% for physically handicapped; 1% for blind and 1% for dumb and deaf candidates.' (संलग्न)-2 के अनुसार आरक्षण मान्य।

मद संख्या 4. पूर्वोत्तर राज्य के आवेदित छात्रों हेतु विशेष आरक्षण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

निर्णय पूर्वोत्तर राज्य के आवेदित छात्रों हेतु विशेष आरक्षण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अकादमिक अध्यादेश "In view of the stated objective of the state to spread higher education rapidly in the north-eastern state of the country, and also with a view to attract more students towards Hindi from that region, 10% seats in each course shall be reserved for the candidates belonging to North-/eastern state. (संलग्न)-3 के अनुसार मान्य।

मद संख्या 5. विभिन्न राज्यों द्वारा निर्गत VJ, NT, SBC जातियों को केन्द्र सरकार के अन्तर्गत किस श्रेणी में आरक्षण प्रदान किया जाना है। इस हेतु स्पष्टीकरण। मार्गदर्शन।

निर्णय विभिन्न राज्यों द्वारा निर्गत VJ, NT, SBC जातियों को केन्द्र सरकार के अन्तर्गत केंद्रीय संस्थान में प्रवेश हेतु केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र आवश्यक है अन्यथा सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है।

मद संख्या 6. केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा द्वारा 'गहन हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण' एवं हिंदी प्रवीण (मुंबई विद्यापीठ) के डिग्री/डिप्लोमा को NCTE के नियमित शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु मान्य या अमान्य किये जाने हेतु मार्गदर्शन। स्पष्टीकरण ?

निर्णय केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा द्वारा "गहन हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्र के प्रमाणपत्र पर "NCTE द्वारा मान्यता है" ऐसा अंकित रहने की स्थिति में उस प्रमाणपत्र को मान्य किया जाएगा। जिन प्रमाणपत्र पर ऐसा अंकित नहीं है उसे अमान्य किया जाए।

मद संख्या 7. यदि स्नातक में 50% (सामान्य वर्ग), 45% (आरक्षित वर्ग) में अंक प्राप्त नही हैं, परंतु परास्नातक में 50% (सामान्य वर्ग), या 45% (आरक्षित वर्ग) में अंक प्राप्त है, उसे स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।

निर्णय दूर शिक्षा निदेशालय के बी.एड. पाठ्यक्रम में पूर्व में लिए गए प्रवेश नीति के तहत् स्नातक या परास्नातक में जिसमें प्रतिशत ज्यादा है उसे प्रवेश हेतु स्वीकृत किया जायेगा।

डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा प्रभारी (प्रवेश प्रकोष्ठ)	श्री. संदीप मधुकर सपकाले सह प्रभारी (प्रवेश प्रकोष्ठ)	डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर एसो.प्रो./क्षेत्रीय निदेशक
डॉ.शिरीष पाल सिंह बी.एड्. पाठ्यक्रम संयोजक	डॉ. गुणवंत सोनोने सदस्य	डॉ. समीर कुमार पाण्डेय सदस्य
डॉ. आदित्य चतुर्वेदी सदस्य	[redacted]. रजनीश अग्रहरि सदस्य	[redacted]. विनोद वैद्य सदस्य सचिव